संख्या-21/2020/298/क.नि.प्र./26-3-2020-18(65)98

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल,2020

समाज कल्याण विभाग

विषय:-सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2020-21

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 81.68 लाख (रू0 इक्यासी लाख अरसठ हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि (रूपये में)
1	2	3
01-वेतन	51,50,000	51,50,000
03-मंहगाई भत्ता	12,88,000	12,88,000
04-यात्रा व्यय	40,000	40,000
06-अन्य भत्ते	4,00,000	4,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3
7-मानदेय	20,000	20,000
08-कार्यालय व्यय	75,000	75,000
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	75,000	75,000
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,000	1,50,000
45-अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000	1,00,000
49-चिकित्सा व्यय	1,00,000	1,00,000
51-वर्दी व्यय	30,000	30,000
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	4,00,000	4,00,000
53-मकान किराया भत्ता	3,00,000	3,00,000
54-नगर प्रतिकर भत्ता	40,000	40,000
योग-	81,68,000	81,68,000

(रू0 इक्यासी लाख अरसठ हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-080-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-21/2020/298(1)/क.नि.प्र./26-3-20 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-4, उ.प्र.शासन।

6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।

7-एन.आई.सी. की प्रति।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।